

उपायुक्त-सह-दण्डाधिकारी, का कार्यालय गुमला।

(समाज कल्याण शाखा)

आवश्यक सूचना

समेकित बाल संरक्षण सेवाएँ योजना (ICPS) पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

समेकित बाल संरक्षण सेवाएँ योजना (ICPS) पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत राज्य में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-05/म0बा0/ICPS-नियु0 नियमा0-575/2015-1835, दिनांक- 20.07.2016 एवं विभागीय संकल्प संख्या- 05/म0स0/यो0स्वी0/M.Vatsalya-432/2022-860 दिनांक- 31.03.2023 आलोक में एवं मिशन वात्सल्य योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक एवं अहर्ताधारी व्यक्तियों से निम्न पद के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

जिला बाल संरक्षण ईकाई, गुमला :-

1. संविदा आधारित नियुक्ति हेतु पद की विवरणी :-

क्र0सं0	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या
01	परामर्शदाता	अनारक्षित	01

2. कंडिका 01 में वर्णित पद का मासिक नियत वेतन एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएं :-

Sl. No	Post	No. of Post	Age in Year	Monthly Emolument	Eligibility Criteria	Work Experience
1	Counselor	01	30-45 Year	18,536/-	Graduate in Social Work/Sociology/Psychology/ Public Health/ Counselling from a recognized university. OR PG Diploma in Counselling and Communication.	At least 1 year of working experience with the Govt/NGO preferably in the field of Women & Child Development. Proficiency in Computer.

नियम एवं शर्तें :-

- उम्र सीमा की गणना 01.01.2025 के अनुसार की जाएगी।
- राष्ट्रीयता - आवेदक भारत का नागरिक हो।
- पद में आरक्षण - संविदा आधारित उपर्युक्त पद के नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।
- परिलब्धि - पद की परिलब्धि क्रमांक-1 के अनुसार अथवा भारत सरकार के निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित राशि के आधार पर पुनरीक्षित संविदा भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा संकल्प/परिपत्र जारी किया जा सकेगा, जो इस नियमावली के अंग माने जायेंगे। क्रमांक-1 में निर्धारित परिलब्धि एक मुश्त संविदा राशि है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार



का भत्ता देय नहीं होगा, परन्तु कर्त्तव्य से जुड़े परिभ्रमण आदि के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान नियमानुसार देय होगा।

5. नियुक्ति का प्रकार पदस्थापन स्थल एवं नियुक्ति की अवधि/नियुक्ति का नवीकरण आदि –

- (क) नियमावली के क्रमांक-1 में उल्लेखित पद पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार/विभाग पर कोई दायित्व नहीं होगा।
- (ख) प्रारंभिक चयन में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों का समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही उनके कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
- (ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम-7 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (घ) जिला स्तरीय पद पर संविदा पर की गई नियुक्ति के पद जिला स्तरीय होगा और इनका पदस्थापन नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय में जिला बाल संरक्षण इकाई में की जायेगी।
- (ङ) जिला स्तरीय पद पर चयन उस जिले के लिये किया जायेगा, जहाँ आवेदक ने आवेदन समर्पित किया है, अर्थात् यह जिला स्तरीय पद होंगे।
- (च) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलिखि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलिखि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

6. चयन प्रक्रिया :-

1. पदवार नियुक्ति पदाधिकारी तथा उनके नियंत्रि पदाधिकारी क्रमांक-10 के अनुरूप होंगे। आवश्यकतानुसार नियंत्रि पदाधिकारी का संसूचन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अलग से संकल्प/परिपत्र के माध्यम से कर सकेंगे।
2. पद के लिए नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जायेगा तथा उस आलोक में अभ्यर्थियों की "प्रारंभिक मेधा सूची" तैयार की जायेगी।
3. सभी श्रेणी के पद की रिक्तियों की दुगुनी संख्या में "प्रारंभिक मेधा सूची" तैयार की जायेगी एवं उनके सभी प्रमाण-पत्रों की जाँचोपरांत सही पाये गये उम्मीदवार को रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-4063, दिनांक-18.05.2016 के आलोक में उपर्युक्त समूह-'ख' अराजपत्रित, समूह-ग एवं समूह-घ समकक्ष पद पर होने वाली संविदा आधारित नियुक्ति में साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जायेगा।
5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 3198, दिनांक- 18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविदा आधारित उक्त समूह के पद पर नियुक्ति के क्रम में उक्त संकल्प के प्रावधान लागू होंगे।

7. योग्यता स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया :-

पद के लिए योग्यता स्कोर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :-

1) वैसे पद जिसमें अतिरिक्त योग्यता चाहिए।

i. अनिवार्य योग्यता के प्राप्तांक का 60 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक	=	60
ii. अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक का 20 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक	=	20
iii. अनुभव - प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 20 अंक	=	20
कुल अधिकतम अंक	=	100

नोट :- (i) एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0/के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर गणना किया जायेगा।

(ii) एक से अधिक अतिरिक्त योग्यता के मामले में वैसे अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक की मान्यता दी जायेगी, जिसका प्राप्तांक अधिक होगा।

अभ्यर्थियों के बीच टाई (Tie) की स्थिति उत्पन्न होने पर चयन की प्रक्रियाएँ :-

दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल योग्यता स्कोर अर्थात अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति उत्पन्न होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता निर्धारित होगा।

8. नियम-1 वर्णित पद के नियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त है। नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा संबंधित उपायुक्त करेंगे।

9. पद के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :-

(क) पद पर नियुक्त व्यक्तियों के कार्य/कर्तव्य/उत्तरदायित्व समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस पर जारी दिशा-निर्देश/मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश को लागू करने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को चिन्हित कर निर्धारित किया जा सकेगा।

(ख) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण संस्था द्वारा समय-समय पर ऐसे सौपे गये कार्य/कर्तव्य/उत्तरदायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा।

10. प्रशिक्षण :- उक्त पद के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयेजित किया जायेगा, जिसकी अवधि एवं स्थल का निर्धारण विभाग या नियुक्त/नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश द्वारा किया जा सकेगा। चयनित अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उत्तीर्णता का मापदण्ड विभाग या नियुक्त/नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश से निर्धारित किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही चयनित अभ्यर्थी को अंतिम रूप से नियुक्ति समक्ष जायेगा।

11. अवकाश :- संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को एक कैलेन्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु के अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

12. अन्यान्य :-

(क) नियमावली में अस्पष्टता या इसके प्रावधानों के अनुपालन में किसी कठिनाई या किसी प्रकार की लिपिकीय भूल की स्थिति में राज्य सरकार अधिसूचना/परिपत्र जारी कर इसकी परिमार्जन करने के लिए सक्षम होगी। ऐसे जारी किये गये अधिसूचना/परिपत्र में निहित निदेश नियमावली के भाग समझे जायेंगे।

(ख) नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों के लिए नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई सेवा शर्त विभाग द्वारा आवश्यक समझी जायेगी तो इस संबंध में विभाग समय-समय पर आवश्यक दिश-निर्देश परिपत्र/अधिसूचना जारी कर सकेगी, जो नियमावली के अंग समझे जायेंगे।

- (ग) पद की संख्या उनके प्रकार, उनकी परिलब्धियाँ आदि में किसी परिवर्तन की स्थिति में विभाग आवश्यकतानुसार अधिसूचना/परिपत्र निर्गत कर नये या संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी। ऐसी जारी किये गये अधिसूचना/परिपत्र में निहित निर्देश नियमावली के भाग समझे जायेंगे।
- (घ) संविदा पर नियुक्त कर्मी का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगी।
- (ङ) नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई प्रावधान राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो राज्य सरकार इसके लिए राज्यादेश जारी कर सकेगी जो नियमावली का अंग समझा जायेगा।

आवेदन की प्रक्रिया :-

- आवेदन में निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है :-
 - मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - इन्टर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - अतिरिक्त योग्यता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण-पत्र।
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के निर्गत जाति प्रमाण-पत्र। (आयु में छूट हेतु)
 - अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र।
 - कंप्यूटर में दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र।
 - आवेदन के साथ शपथ पत्र (Notary/Executive Magistrate द्वारा निर्गत) की मूल प्रति देना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का वाद न्यायालय में दर्ज नहीं है।
- जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक- 15.02.2025 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निम्न पता पर भेजा जा सकता है :-
पता - कार्यालय, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला नया समाहरणालय भवन, चंडाली, गुमला, पिन-835207, झारखण्ड।
- उपरोक्त पद के लिए आवेदन प्रपत्र, नियम एवं शर्त, शैक्षणिक योग्यता के अलावा अतिरिक्त योग्यता का विवरणी निम्नलिखित Website- www.gumla.nic.in पर देखी जा सकती है।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
गुमला।

उप विकास आयुक्त,
गुमला।

उपायुक्त,
गुमला।

ज्ञापांक - 86 / जि0सं0का0, गुमला दिनांक- 20/1/25

प्रतिलिपि- जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है उक्त सूचना को गुमला जिले के वेबसाईट पर उपलोड कराया जाए।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
गुमला।

उप विकास आयुक्त,
गुमला।

उपायुक्त,
गुमला।

54

**APPLICATION FORM FOR RECRUITMENT UNDER INTERGRATED CHILD PROTECTION SCHEME
(MISSION VATSALYA) DISTRICT-RANCHI**

- 1 Application for the post of : -----
- 2 Name of the Applicant : -----
- 3 Father's/mother's/Husband's Name : -----
- 4 Date of Birth (DD/MM/YY) : -----
- 5 Sex (Please tick): Male Female
- 6 Mobile No: -----
- 7 Email ID: -----
- 8 Nationality -----
- 9 Marital Status: -----
- 10 Category (please tick): ST SC OBC GENERAL
- 11 Address for communication with pin code : -----

- 12 City /Town : -----
- 13 Pin code : -----
- 14 State: -----
- 15 Permanent Address for with pin code : -----

16 Educational Qualification

Examination passed	Name of Board/University	Year of passing	Percentage of Marks	Grade/Division

17 Professional any other Qualification :

Examination passed	Name of Board/University	Year of passing	Percentage of Marks	Grade/Division

18 Works Experience:

Sl. No	Name of the Organization	From	To	No. of Years	Nature of work

19 Whether presently serving in any Government/ Undertaking / organization -----

20 Enclosure: Photo copy of Document/certificate related to Educational Qualification, Professional/ other Qualification, Age, work Experience, Caste certificate, Residential Certificate , any Photo Identity card (Aadhar, Driving License, PAN etc .)

Declaration

I Certify that above mentioned information are true and if found to be false, District Child protection Unit, Ranchi may cancel my candidature at any stage of selection process at It's sole discretion .

Date :
 Place :

(Signature of the candidate)